तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.24	आज यह वाद पत्र वादी की ओर से उनके अभिभाषक श्री लक्ष्मीकान्त भारद्वाज ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। हस्तगत वाद के जरिये वादी का अनुतोष राजस्व ग्राम सिहोड़ स्थित मंदिर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 0.15 हेक्टेयर से प्रतिवादीगण की बेदखली का होने से अधिवक्ता वादी की वाद पत्र के एडमिट स्तर पर ही बहस सुनी गई। पत्रावली पर वादी द्वारा पेश किये गये प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी भूमि है। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को आदेशित किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगें। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। इस प्रकार वादी के हस्तगत वाद में वर्णित तथ्यानुसार मामला धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का हस्तगत वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादी का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। 21/8/24 **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	